लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3018

जिसका उत्तर बुधवार, 19 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

पीएसएफ योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

3018. श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री राजेश वर्मा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र और बिहार के लिए वर्ष 2014 से मार्च, 2025 तक मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत निधि का वर्ष-वार आवंटन और उपयोग क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त राज्यों में किए गए मूल्य स्थिरीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल वस्तुएं कौन-कौन सी है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा पीएसएफ बफर स्टॉक के रूप में कितनी मात्रा में दालें और प्याज क्रय और विक्रय किए गए हैं;
(घ) बाजार हस्तक्षेप को बढ़ाने में राज्य स्तरीय पीएसएफ प्रबंधन समितियों की भूमिका और योगदान जिसमें प्रदान किए गए ब्याज मुक्त अग्रिम भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) भविष्य में दाल या प्याज के बफर स्टॉक का विस्तार करने और पीएसएफ से संबंधित कार्यों को सशक्त करने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): महाराष्ट्र और बिहार से खरीदी गई दालों की मात्रा तथा मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत खरीद के लिए उपयोग की गई निधि का विवरण इसकी स्थापना से लेकर मार्च, 2025 तक अनुलग्नक-I में दिया गया है। दालों के अलावा, 2017-18 से पीएसएफ के तहत प्याज की वार्षिक खरीद मुख्य रूप से महाराष्ट्र से की गई है। 2024-25 के दौरान, रबी 2024 सीजन के दौरान केंद्रीय एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र से 1033 करोड़ रुपये मूल्य की 4.65 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्याज खरीदी गई है।

(घ): कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने हेतु संबंधित राज्यों के लिए राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष (एसएलपीएसएफ) की शुरुआत की गई है। एसएलपीएसएफ का प्रबंधन संबंधित राज्यों द्वारा गठित राज्य स्तरीय पीएसएफ प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। समिति उपभोक्ताओं को अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की खरीद, भंडारण और निपटान से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। एसएलपीएसएफ कोष का निर्माण केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75:25)। एसएलपीएसएफ की स्थापना करने वाले 7 राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है, अर्थात आंध्र प्रदेश (50 करोड़ रुपये), तेलंगाना (9.15 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (2.5 करोड़ रुपये), ओडिशा (25 करोड़ रुपये), असम (75 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (2.5 करोड़ रुपये) और नागालैंड (37.5 करोड़ रुपये)।

(ङ): बाजार हस्तक्षेप के लिए दालों और प्याज के बफर स्टॉक का आकार मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुसार गतिशील है।

*****

अनुलग्नक

पीएसएफ योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग के संबंध में दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

विभिन्न मौसमों के दौरान महाराष्ट्र और बिहार में पीएसएफ के अंतर्गत खरीदी गई दालें			
कमोडिटी और सीज़न	**राज्य**	**खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)**	**राशि करोड़ रुपये में**
तूर ख़रीफ़ 2015	महाराष्ट्र	22,247.64	196.31
उड़द ख़रीफ़ 2015	महाराष्ट्र	54.42	0.59
चना आर-16	महाराष्ट्र	4,911.03	30.91
मसूर आर-16	बिहार	16.15	0.11
मूंग के-16	महाराष्ट्र	297.56	1.55
उड़द के-16	महाराष्ट्र	15,591.62	110.33
तूर ख़रीफ़ 2016	महाराष्ट्र	3,14,007.45	1585.74
तुअर एमएसपी के-16	महाराष्ट्र	90,207.50	455.54
मसूर आर-21	बिहार	47.48	0.32
उड़द के-21	महाराष्ट्र	8.98	0.06
तूर के-21	महाराष्ट्र	1,105.04	6.96
तूर के-22	महाराष्ट्र	3,998.05	33.34
तूर के-23	महाराष्ट्र	775.46	7.75
चना आर-23	महाराष्ट्र	16,251.91	86.7
चना आर- 24	महाराष्ट्र	103.86	0.56
कुल		**4,69,624.15**	**2,516.77**

*****